

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विनोद कुमार पाठक,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

डा० प्रवीण कुमार सिन्हा,
अपर उपाधीक्षक-सह-सहायक अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,
गैर संचारी रोग, भोजपुर ।

पटना, दिनांक :

विषय दिनांक 01.06.2025 से 30.06.2025 तक निजी कारणों से विदेश (अमेरिका एवं कनाडा) जाने की अनुमति प्रदान करने के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा के पत्रांक 3147 दिनांक 25.09.2024 के प्रसंग में नियमानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ दिनांक 01.06.2025 से 30.06.2025 तक निजी कारणों से विदेश (अमेरिका एवं कनाडा) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है—

- 1) अवकाश अवधि का विस्तार अनुमान्य नहीं होगा ।
- 2) प्रवास के दौरान धनोपार्जन हेतु अपने पेशे का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा ।
- 3) यह यात्रा बिल्कुल निजी होगी तथा किसी भी तरह का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।
- 4) सभी तरह का व्यय स्वयं वहन करना होगा ।
- 5) प्रवास के दौरान किसी भी तरह का लेखे का भुगतान प्राप्त नहीं किया जायेगा ।
- 6) डा० प्रवीण कुमार सिन्हा मुख्यालय छोड़ने के पूर्व अपने नियंत्री पदाधिकारी/विभाग को (अमेरिका एवं कनाडा) प्रवास के दौरान सम्पर्क का पता एवं सम्पर्क नम्बर उपलब्ध करायेगे ।
- 7) एतदसंबंधी अवकाश संचित उपार्जित अवकाश से सामाजित होगा ।
- 8) विदेश यात्रा से लौटने के बाद अपने पार-पत्र की छाया प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(विनोद कुमार पाठक)

ज्ञापाक :

142(3)

/स्वा०, पटना, दिनांक 10/03/25

प्रतिलिपि महालेखाकार (ले० एवं ह०), वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि निदेशक प्रमुख (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि क्षेत्रीय अपर निदेशक, पटना प्रमडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि. असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भोजपुर, आरा/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-2, 8, 9 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित ।

Wdmmk 8/3/25
सरकार के अवर सचिव